सत्र प्रकरण क. 233/18
(अभियोजन साक्षी क–10)
II-157
C.J.

Witness no. .....**10**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken the.....day of.....**18.09.2019**.....Witness's apparent age.....**57 वर्ष**.....

States on affirmation.....**शपथपूर्वक**.....My name is.....**इन्द्र बहादुर सिंह**.... Son of .....**स्व. श्री त्रिभुवन सिंह**.....occupation.....**सहायक उपनिरीक्षक**..... addres....**थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर छ.ग.**

———————————————————————————————

1– मैं थाना टिकरापारा रायपुर में वर्ष 2013 से मई 2019 तक सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 26.08.2018 को प्रार्थी नरेन्द्र सागरवंशी ने थाना टिकरापारा आकर सिकंदर सागरवंशी को अभियुक्त दुर्गेश धीवर एवं सोनू कड़रा व्दारा चाकू से मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर मैंने अपराध क्रमांक 366/2018, अंतर्गत धारा 307, 34 भा. दं.सं. का अपराध पंजीबद्व किया गया। प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी 10 है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर प्रार्थी नरेन्द्र कुमार सागरवंशी ने मेरे समक्ष अंगुठा निशानी लगाया है।

2– विवेचना के दौरान मैंने दिनांक 26.08.2018 को बालाजी हास्पीटल, रायपुर में जहां पर आहत सिकंदर सागरवंशी भर्ती था, वहां के चिकित्सक को घायल सिकंदर सागरवंशी के कथन हेतु संबंधित चिकित्सक को ज्ञापन दिया था, जिसकी कार्बन प्रतिलिपि **प्रदर्श पी 12** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। चिकित्सक ने प्रदर्श पी 12 में इन्द्राज किया है कि मरीज बयान देने योग्य नहीं है। मैंने दिनांक 26.08.2018 को प्रदर्श पी 1 के व्दारा आहत सिकंदर सागरवंशी के चोटों का मुलाहिजा कर नतीजा देने हेतु ज्ञापन दिया था, जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। चिकित्सक डॉ. पुष्पेन्द्र नायक ने प्रदर्श पी 1 में आहत का मुलाहिजा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

Witness no. .....**10**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken

3– विवेचना के दौरान मैंने दिनांक 27.08.2018 को प्रातः 9.10 बजे घटनास्थल का नजरी नक्शा गवाहों के समक्ष बनाया था जो **प्रदर्श पी 13** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर तथा बी से बी भाग पर साक्षी नरेन्द्र का अंगुठा निशानी है। पूछताछ के दौरान आरोपी दुर्गेश धीवर का मेमोरेंडम पर कथन दिनांक 27.08.2018 को गवाहों के समक्ष लिया था जो प्रदर्श पी 5 है, जिसके सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 5 में आरोपी ने जिस चाकू से मारा हूं उसे घर में छिपाकर रखा है चलो चलकर बरामद करा देता हूं कहा था। उसके पश्चात मैं गवाहों के समक्ष प्रदर्श पी 6 के व्दारा आरोपी दुर्गेश धीवर के घर से एक लोहे का बटनदार चाकू जिसमें काला रंग का बेंठ लगा हुआ है, जिसके एक तरफ धारदार नुकीला दांतेदार है, जिसकी कुल लंबाई 9 इंच और मुठ की लंबाई 5 इंच तथा फल की लंबाई 4 इंच है, को जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 6 है जिसके सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4– विवेचना के दौरान दिनांक 26.08.2018 को बालाजी अस्पताल, रायपुर में नरेन्द्र सागरवंशी के व्दारा प्रस्तुत करने पर गवाहों के समक्ष सिकंदर सागरवंशी के व्दारा घटना के समय पहने हुए खून लगा कपडा, जिसमें एक सफेद काला छींटदार फूलबांह का शर्ट जिसके दाहिने और बांए तरफ का बांह फटा हुआ था तथा दोनों बाह एवं पीछे तरफ खून लगा हुआ था, एक दिव्या कंपनी का कत्थे रंग का फटा हुआ अंडरवियर जिसमें आगे और पीछे खून लगा हुआ था और एक काला सफेद चौखाना वाला लूंगी का आधा टुकडा खून लगा हुआ जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7 है जिसके सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

5– विवेचना के दौरान मैंने प्रदर्श पी 2 के व्दारा अपराध क्रमांक 366/2018, धारा 307/34 भा.दं.सं. के मामले में जप्तशुदा वस्तुओं की क्यूरी के संबंध में चिकित्सक पुष्पेन्द्र नायक, बालाजी अस्पताल, टिकरापारा रायपुर को ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसके बी से बी भाग पर मेरे

Witness no. .....**10**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken

हस्ताक्षर है। डॉ.पुष्पेन्द्र नायक के व्दारा उक्त क्यूरी के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है। मैंने बालाजी अस्पताल, टिकरापारा रायपुर को सिकंदर सागरवंशी के इलाज के संबंध में बेडहेड टिकिट हेतु ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसकी कार्बन प्रति **प्रदर्श पी 14** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। बालाजी अस्पताल रायपुर से प्राप्त बेडहेट टिकिट प्रदर्श पी 4 है।

6– विवेचना के दौरान दिनांक 27.08.2018 को प्रातः 9.00 बजे घटनास्थल से मिली मिट्टी जिसमें खून लगा हुआ था तथा घटनास्थल से आसपास की सादी मिटटी जप्त की गयी थी, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 11 है जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर तथा सी से सी भाग पर साक्षी नरेन्द्र सागरवंशी का अंगुठा निशानी है।

7– विवेचना के दौरान मैंने कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के माध्यम से प्रार्थी नरेन्द्र सागरवंशी से जप्त कपड़े एवं खून आलूदा मिट्टी और सादी मिटटी को सीलबंद पैकेट में परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर का पत्र प्रदर्श पी 8 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। राज्य न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्रदर्श प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 9 है। विवेचना के दौरान मैंने घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाने हेतु तहसीलदार, रायपुर को दिनांक 28.10.2018 को ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसकी कार्बन लिपि **प्रदर्श पी 15** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नजरी नक्शा पटवारी व्दारा तैयार किया गया है जो प्रदर्श पी 8 है।

8– विवेचना के दौरान मैंने साक्षी नरेन्द्र सागरवंशी, सिकंदर सागरवंशी, नवीन कुमार यादव, शिवा ठाकुर का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्व किया था। मैंने उनके बयानों पर अपनी तरफ से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था। विवेचना के दौरान मैंने दिनांक 27.08.2018

Witness no. .....**10**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken
को दोपहर 1.30 बजे आरोपी दुर्गेश धीवर तथा आरोपी छैबैयया उर्फ सोनू कड़रा को गवाहों के समक्ष धारा 307/34 भा.दं.सं. के आरोप में गिरफतार किया था। गिरफतारी पंचनामा **प्रदर्श पी 16, एवं प्रदर्श पी 17** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा दोनों गिरफतारी पंचनामा में क्रमशः बी से बी एवं सी से सी भाग पर गवाह राकेश एवं माही के हस्ताक्षर है। विवेचना उपरांत मैंने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ओंकार साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण :–</u>

9– यह कहना सही है कि मैंने घटना की शिकायत प्राप्त होने के बाद घटनास्थल पर गया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास साहू मोहल्ले में बजरंगबली का मंदिर है। यह कहना गलत है कि घटना के समय घटनास्थल जगह की बिजली बंद हो गयी थी। यह कहना सही है कि मुझे विवेचना के दौरान इस बात की जानकारी हुई थी कि घटनास्थल पर कुछ लोग तासपत्ती खेल रहे थे। यह कहना गलत है कि घटनास्थल पर तासपत्ती खेलने वालों की भीड़ थी। यह कहना गलत है कि आहत सिकंदर सागरवंशी ने मुझे पूछताछ में बताया था कि भीड़ में किसी एक व्यक्ति ने मेरे पेट में चाकू मारा था।

10– यह कहना गलत है कि आरोपी दुर्गेश का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी 5 में हस्ताक्षर लेने के पहले उसे पढकर नहीं बताया था। यह कहना भी गलत है कि प्रदर्श पी 5 के गवाहों को भी उसे पढकर नहीं बताया गया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 6 के अनुसार आरोपी दुर्गेश से जो चाकू जप्त हुआ था उसे गवाहों को नहीं दिखाया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 13 का नजरी नक्शा मैंने थाने में तैयार किया था। यह कहना गलत है कि इस प्रकरण के साक्षी नरेन्द्र सागरवंशी, सिकंदर सागरवंशी, नवीन कुमार एवं शिवा ठाकुर ने मुझे कोई बयान

Witness no. .....**10**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken नहीं दिया था। यह कहना भी गलत है कि मैंने सभी साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्व किया है।

11– यह कहना गलत है कि घटना घटित हुआ था इसीलिए मुझे इस प्रकरण में किसी न किसी को आरोपी बनाना था इसीलिए मैंने दुर्गेश धीवर और सोनू कड़रा को इस प्रकरण में झुठा संलिप्त कर दिया है।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित।

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर .....